


FORM No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर(उपरखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल
 नसीबा बानु बानाम अख्तर बानु
 मु0नं0 28 / 2012

किस्म मुकदमा राजस्व प्रार्थना-पत्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
28.02.2012	<p>प्रार्थनी ने जरिरे अभिभाषक अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना-पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया हैं। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी का दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>विद्वान वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहक प्रार्थी विरुद्ध अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.03.2012 तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती हैं कि मौजा खाटुकलां की विवादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 1128 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा जमीन के राजस्व रेकार्ड एवं मौका की स्थिति यथावत बनायी रखी जावें।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो कि क्यों न इस आदेश को ता फैसला वाद पुख्ता किया जावें अगर इसमें किसी प्रकार की आपति हो तो असालतन या वकालतन उपस्थित होकर पेश करें। पत्रावली आयन्दा दिनांक 13.03.2012 को पेश हो।</p> <p align="right">  सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.), (एस. डी. बानु) जायल (नागौर) </p> <p>13/3/12 वकील प्रार्थी उपर। अपार्थी सं०१ का व्यापकतामा मूल वाद में वकील प्रार्थीना (पार्थी) के विषय नोटिस संलग्न किए गए। आज पीठासीन अधिकारी की दृष्टि में पेश करे हैं। कावली दिनांक 13/3/12 को पेश हो।</p> <p>19/3/12 अनुपाप हण। वकील प्रार्थी न मौजा कमिश्नर मिपुक्ति का यादवा पत्र विषय पितनी नवत की गरी। एवं आदेश दिनांक 28/2/12 की अवधि लप जातार</p>	



फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

बनाम्

स्म प्रकरण :

मुकदमा नं.-

/.

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
------------	------------------------------	--

31/8/22 बकुलाय उण। गार आदेशिका की पालना हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। सिद्धता दिनांक 29/9/22 को पेश हो।

(एस.डी.ओ.) जायल

अपार/पड़काराव क परिचय

29/9/22 रोठासीन प्रक्रिया की प्रितिगि/प्रवण प्रवकाश पर नय हुए हे, इसलिए प्रवण उनके समक्ष दिनांक 6/10/22

6/10/22 चकल्ल प्राथी अनुपस्थित। आवान लगाई गई। वाड आवान वकील वादी दानिर नही आये हे तथा ही प्राथी स्वयं दानिर आया हे अतः प्रार्थना पत्र क्वीत दास्त 212 एतएव का खारिज किया जाता है। फिलल नया हे कड यीत दारिख अपर हे।

(एस.डी.ओ.) जायल